कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/ 4174 /एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 25 .04.2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संभाव्य प्रसाद को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/134/एडीएम/स्टेनो/2020 दिनांक 14-04-2020 को जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता दिनांक 03-05-2020 तक के लिये बढाया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 24-04-2020 के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-

2- इस आदेश का तात्पर्य यह है कि -

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों की (नोवेल कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये भारत सरकार, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाईन एवं एडवाईजरी, Social distancing एवं 50% प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति एवं मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) संचालन की अनुमति रहेगी।

(b) शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकानें, आस पडोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को खोलने की (नोवेल कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिये भारत सरकार, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाईन एवं एडवाईजरी, Social distancing एवं 50% प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति एवं मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) अनुमति होगी। किन्तु मार्केट की दुकानें/मार्केट काम्पलेक्स एवं शॉपिग मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, हॉटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3- स्पष्टीकरण - ई-कामर्स कंपनियों के लिये जारी अनुमति केवल आवश्यक वस्तुओं के लिये रहेगी।

4- शराब/मंदिरा एवं अन्य सामानों के बिक्री कोविड-19 प्रबंधन के लिये जारी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार निषेध रहेगी।

5- कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4111/एडीएम/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2020 के अनुसार छूट प्राप्त सेवाओं के संचालन हेतु निर्धारित समय-सीमा प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगी।

जिले हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में पूर्व में सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

25/4/2020

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक/4175 /एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 25 .04.2020

प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ। उपरोक्तानुसार व्यवस्था का निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को भेजें।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

25/4/2020

जिला मजिस्ट्रेट

जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)

Scanned with CamScanner